सं.ई-11016/1/2016-हिन्दी

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

भारत सरकार

शास्त्री भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद मार्ग,
नई दिल्ली दिनांक 04 अगस्त, 2016

आदेश

हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 19.07.2016 को आयोजित बैठक में माननीया मंत्री जी ने हर काम पहले हिन्दी में फिर अन्य किसी भाषा में करने का निदेश दिया। साथ ही मंत्री महोदया ने यह भी निदेश दिया कि सभी फाइलों पर नोटिंग (Noting) हिन्दी में की जाए। इसके मुताबिक मंत्रालय के सभी अनुभागों तथा संगठनों को आदेश दिया जाता है कि मंत्रालय के सभी दस्तावेज़ पहले हिन्दी में तैयार किए जाएं और अगर ज़रूरत हो तो अन्य भाषा जैसे अंग्रेजी में, तथा फाइलों पर सभी नोटिंग हिन्दी में की जाए।

इस आदेश को माननीया मंत्री महोदया की मंज़ूरी से जारी किया जा रहा है।

केएम अलिमाल्मिगोती

(के.एम.एम. अलिमाल्मिगोती)
आर्थिक सलाहकार

सेवा में,

1. मंत्रालय के सभी अधिकारी/ अनुभाग।
2. मंत्रालय के अधीन सभी संगठन/कार्यालय
3. निदेशक (एन.आई.सी.) ज.सं.न.वि.गं.सं. मंत्रालय को आदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।